प्रमाणित

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

वार्षिक रिपोर्ट (2019-2020)

सुषमा स्वराज भवन, डॉ जोस पी रिज़ल मार्ग,

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

दिल्ली - 110021

www.mea.gov.in/icm.htm

icm@mea.gov.in

Created with PDFBear.com

विषय-सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
I	पृष्ठभूमि	3
II	संगम ज्ञापन	4
III	विशेषज्ञता के क्षेत्र	6
IV	शासी संरचना	6
V	वर्ष 2019-2020 में प्रारंभ की गई गतिविधियां	8
VI	आईसीएम 2019-20 में इंटर्नशिप कार्यक्रम	11
VII	वित्त और प्रशासनिक मुद्दे 2019-2020	11
VIII	शासी परिषद के सदस्य	14
IX	इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन में कर्मचारी	15
X	फोटो	16
XI	तुलन-पत्र	18

Created with
PDFBear.com

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

1. पृष्ठभूमि

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) एक पंजीकृत सोसायटी है, जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट, 1860 के अंतर्गत स्थापित है और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय को एक स्वायत्त निकाय और चिंतक के रूप में कार्य करती है। आईसीएम की स्थापना जुलाई 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से की गई थी। यह केंद्र अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक और नीति संबंधी अनुसंधान करता है, और अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए परियोजनाएं करता है, ताकि सूचित नीति निर्माण का समर्थन किया जा सके और भारत के लोगों के अंतरराष्ट्रीय पारगमन के लिए सुसंगत और सुसंगत प्रतिक्रिया के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप सक्षम हो सके।

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन भारत में अपनी तरह का एकमात्र शोध संस्थान है जो विशेष रूप से प्रवासियों के कल्याण और संरक्षण सहित भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और शोध करने के लिए समर्पित है। यह केंद्र विदेश मंत्रालय का अनुदान-सहायता निकाय है और मंत्रालय द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने आईसीएम के वित्त वर्ष 2019-2020 के लेखों की प्रमाणन लेखा परीक्षा 11 से 24 फरवरी 2021 तक की थी।

Created with
PDFBear.com

2. संगम ज्ञापन

संगम ज्ञापन में आईसीएम के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए नियम और विनियम का प्रावधान है।

2.1 संगम ज्ञापन के अनुसार कार्य:

I. विदेशों में उभरते देश/क्षेत्र विशिष्ट रोजगार के अवसरों पर एक डाटाबेस बनाना और उसका रखरखाव करना।

II. व्यावसायिक निकायों और निजी क्षेत्र के परामर्श से कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए कार्यक्रम शुरू करना और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।

III. विदेशी श्रम बाजारों में श्रम आपूर्ति की खाई को चिन्हित करना और उन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय कामगारों द्वारा अपेक्षित कौशल को चिन्हित करना।

IV. विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए पूर्व प्रस्थान अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू करना।

V. राज्य जनशक्ति विकास निगमों, परियोजना जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी नियोक्ताओं सहित अन्य रोजगार संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

VI. अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की प्रवृत्तियों और गतिशीलता, भारत और विदेशों में उत्प्रवासी भारतीय कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं, अन्य श्रम भेजने वाले देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को बेंचमार्क करने और नीतिगत पहलों/रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए शोध, निगरानी, विश्लेषण और समर्थन करना।

VII. इस उद्देश्य के लिए कल्याण निधि की संस्थागत व्यवस्थाओं सहित प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यक कल्याण सहायता प्रदान करना।

Created with PDFBear.com

2.2 संगम ज्ञापन के अनुसार मुख्य उद्देश्य

संभावित प्रवासी भारतीय कामगारों को निजी भर्ती उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजगार सेवाओं के 'उपभोक्ता' के रूप में स्थापित करना।

अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजारों पर शोध करना और भारतीय युवाओं के लिए उभरते विदेशी रोजगार के अवसरों को चिन्हित करना।

भारतीयों के विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक कार्यनीतियां बनाने और निष्पादित करने के लिए 'थिंक टैंक' के रूप में काम करना।

भारत को कुशल, प्रशिक्षित और योग्य कामगारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में परिकल्पित करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों के साथ-साथ विभिन्न श्रम भेजने और प्राप्त करने वाले देशों की रणनीतियों की नियमित रूप से निगरानी, अध्ययन और विश्लेषण करना।

विशिष्ट राज्यों/देश और लैंगिकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री को अनुकूलित करना।

एक श्रम आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना और उसे बनाए रखना।

प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यक आधारित कल्याणकारी योजनाएं बनाना।

Created with PDFBear.com

3. विशेषज्ञता के क्षेत्र

केंद्र प्रमुख कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित विशेषज्ञता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन
- प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास और प्रशिक्षण
- कौशल उन्नयन और कौशल की पारस्परिक मान्यता
- प्रवासन नीति और प्रवासन का शासन
- प्रवासन प्रबंधन
- प्रवासन विप्रेषण और विकास
- महिला प्रवासी कामगार
- भारतीयों के लिए श्रम बाजार और संभावित अवसर
- सूचना प्रसार और जागरूकता अभियान
- विदेशों में भारतीयों के सरक्षित. काननी और मानवीय प्रवास से संबंधित सभी मददे

4. शासी संरचना

इस केंद्र में दो स्तरीय निकाय है जिसमें एक शासी निकाय और एक कार्यकारी निदेशालय है।

शासी निकाय के अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी एंड ओआईए) हैं। अन्य पदेन सदस्य हैं -

1. सचिव, आर्थिक मामले विभाग (वित्त मंत्रालय),
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
3. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और
4. रोटेशन द्वारा तीन राज्य सरकारों के मुख्य सचिव.
5. सरकार द्वारा बाहरी प्रत्याशियों के रूप में चार विशेषज्ञ.

कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी निदेशालय में सीईओ और कर्मचारी हैं। वर्तमान में संयुक्त सचिव (ओआईए-I) विदेश मंत्रालय, आईसीएम के सीईओ हैं।

Created with PDFBear.com

शासी परिषद और कार्यकारी निदेशालय के अलावा, संगम ज्ञापन में शासी परिषद द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रभावी संचालन और कार्यान्वयन के लिए शोध/निगरानी, वित्त और प्रशासनिक समितियों का प्रावधान है।

4.1 शासी परिषद की बैठकें

आईसीएम की शासी परिषद् ने वित्त वर्ष 2019-20 में 8 (आठ) बैठक आयोजित की। बैठक की तिथियां और स्थल निम्नानुसार हैं :

बैठक	दिनांक	स्थल
I	04.09.2008	नई दिल्ली
II	04.02.2009	नई दिल्ली
III	18.10.2011	नई दिल्ली
IV	04.10.2012	नई दिल्ली
V	22.05.2015	नई दिल्ली
VI	04.12.2015	नई दिल्ली
VII	13.02.2017	नई दिल्ली
VIII	06.12.2018	नई दिल्ली

4.2 कर्मचारी

वर्तमान में आईसीएम में 3 कर्मचारी हैं । संगठन की आवश्यकतानुसार खुले बाजार से अनुबंध आधार पर इनकी भर्ती की जाती है। उन्हें एक या दो साल का अनुबंध दिया जाता है, जिसे प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकृत किया जाता है।

आईसीएम दो क्षेत्रों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और प्रवासी और प्रस्थान-पूर्वअभिविन्यास और प्रशिक्षण पर शोध में इंटर्न भी नियुक्त करता है।

Created with PDFBear.com

5. वर्ष 2019-2020 में प्रारंभ की गई गतिविधियां

1. राज्य सरकारों और आईओएम के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर कार्यशालाएं।

आईसीएम ने राज्य सरकारों की एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षित और कानूनी प्रवासन पर 3 टीओटी कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यों के अलावा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) अन्य तकनीकी साझेदार थे। वित्त वर्ष 2019-2020 में कुल 74 प्रशिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रमाणित किया गया था जो पीडोओ प्रशिक्षण देने के योग्य हैं। कार्यशालाओं की विस्तृत सूची तालिका 1 में देखी जा सकती है।

तालिका 1: प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यशाला

क्र.सं.	राज्य	शहर	कार्यशाला की तिथि	साझेदार [ओआईए-I प्रभाग का समग्र पर्यवेक्षण]	मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या (आईसीएम द्वारा प्रमाणित)
1.	दिल्ली	नई दिल्ली	24-25 अक्तूबर 2019	आईसीएम,एनएसडीसी	16
2.	राजस्थान	जयपुर	23-24 दिसम्बर 2019	आईसीएम,आरएसएलडीसी	25
3.	कर्नाटक	बेंगलूरु	27-28 जनवरी 2020	आईसीएम,कर्नाटक कौशल विकास विभाग	33
				कुल	**74**

* आरएसएलडीसी- राजस्थान कौशल विकास निगम, एनएसडीसी- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

2. प्रवासन और गतिशीलता पर साझा कार्यसूची पर यूरोपीय संघ के साथ तकनीकी सहयोग

टीओटी कार्यशालाओं के अलावा, आईसीएम प्रवासन और गतिशीलता पर यूरोपीय संघ के साथ साझा कार्यसूची पर कार्य कर रहा था। भारत और यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के बीच

Created with PDFBear.com

प्रवासन और गतिशीलता (सीएडीएम) पर साझा कार्यसूची पर संयुक्त घोषणापत्र पर 29 मार्च, 206 को हस्ताक्षर किए गए थे। सीएएमएम काफी हद तक दोनों पक्षों के लिए प्रवासन और गतिशीलता के मुद्दे पर एक व्यापक और लचीला दृष्टि दस्तावेज है। भारत-यूरोपीय संघ की प्रवासन और गतिशीलता पर उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीएमएम) सीएडीएम के कार्यान्वयन के लिए एक समग्र संचालन तंत्र प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और ब्रसेल्स स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन ओर नीति विकास केंद्र (आईसीएमपीडी) यूरोपीय संघ की ओर से परियोजना के भागीदारों हैं, जबकि भारत की ओर से इस परियोजना के लिए इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) कार्यान्वयन साझेदार है।तकनीकी सहायता परियोजना के लिए परियोजना सलाहकार समिति (पीएसी) की दूसरी बैठक 11 जुलाई 2019 को हुई थी। पीएसी की दूसरी बैठक में सीएएमएम के सभी चार स्तंभों के संतुलित कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन भागीदारों (आईएलओ, आईसीएमपीडी और आईसीएम) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की निम्नलिखित अनंतिम सूची पर आपसी समझौते के साथ संपन्न हुआ;

- जर्मनी, आयरलैंड और इटली में प्रवासी अध्ययन
- यूरोपीय संघ की ओर जाने वाले भारतीयों के लिए प्रस्थान-पूर्व किट
- भारत में शिक्षा एजेंटों के सुरक्षित और सूचित चयन को सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय विश्वविद्यालयों के लिए सूची की जांच करना
- सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रवासी संबद्धता के साधन
- यूरोपीय विश्वविद्यालय और छात्र जाँच-सूची, और हैंडबुक, तैयारी और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रसार।
- सीएएमएम के चार स्तंभों पर तकनीकी आदान-प्रदान के साथ प्रवासन शासन पर संगोष्ठी।
- अध्ययन के परिणामों पर प्रवासी नेटवर्क के साथ यूरोप के सदस्य राष्ट्रों में कार्यक्रम।
- परियोजना के बंद होने पर सम्मेलन।

वित्त वर्ष 2019-2020 में सीएएमएम के तहत की गई गतिविधियों को तालिका 2 में देखा जा सकता है।

Created with PDFBear.com

तालिका 2: सीएएम के तहत पैनल चर्चा/कार्यशाला

क्र.स.	राज्य	शहर	कार्यशाला/पैनल चर्चा की तिथि	विषय
1	महाराष्ट्र	पुणे	14-15 जून 2019	प्रतिभा गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ संगोष्ठी (**सीएएमएम** के तहत)
2	दिल्ली	नई दिल्ली	10 जुलाई 2019	प्रवासन शासन पर श्रेष्ठ प्रथाओं का सहभाजन (सीएएमएम के तहत)
3	दिल्ली	नई दिल्ली	14-15 नवम्बर 2019	यूरोपीय उच्च शिक्षा आभासी मेले का श्रवण सत्र (सीएएमएम के तहत)

3. सेमिनार और पैनल चर्चाएं

जनवरी 2020 में शुरू होने वाले अपने नए शोध पहलों के हिस्से के रूप में, आईसीएम ने दो पैनल चर्चाएं आयोजित कीं। उसका विवरण तालिका 3 में उपलब्ध है। इन पैनल चर्चाओं में प्रमुख हितधारकों से भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रतिभागियों और वक्ताओं ने भाग लिया।

तालिका 3: सेमिनार और पैनल चर्चाएं

क्र.स.	पैनल चर्चा की तारीख	विषय
1	15 जनवरी 2020	छात्रों की गतिशीलता: चुनौतियां, अवसर और संभावनाएं
2	19 फरवरी 2020	खाई पाटना: रोजगार के साथ कौशल विलय

4. भावी कार्य-क्षेत्र

आईसीएम, अग्रसर होते हुए प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रयासों और अनुसंधान गतिविधियों और साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। भावी- क्षेत्रों में टीओटी कार्यशालाएं, राज्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों का प्रशिक्षण, अन्य क्षेत्रों (उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया) में पीडीओ मॉड्यूल का विकास, संयुक्त

Created with PDFBear.com

राष्ट्र और अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग में वृद्धि, उभरते श्रम बाजारों पर अनुसंधान, कौशल संवर्धन, भर्ती प्रथाओं पर आंकड़ा विश्लेषण आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 2020 की शुरुआत के बाद से, आईसीएम ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के आसपास के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए चिकित्सकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, भर्ती एजेंटों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए पैनल चर्चा और परामर्श का आयोजन शुरू कर दिया है। इन अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखने से अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार के मुख्य क्षेत्रों, उत्प्रवासी कामगारों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं, प्रवासी प्रेषण और विकास पर विस्तृत विश्लेषण, योगदान और समर्थन मिलेगा।

6. आईसीएम 2019-20 में इंटर्नशिप कार्यक्रम

इस वर्ष नियुक्त पांच इंटर्न में सुश्री काव्या श्रीवास्तव (जून 2019 तक), सुश्री ओजस्वी गोयल, श्री अमन सिंह, सुश्री हीरालाल उपाध्याय और श्री हर्षित राय (सितंबर 2019 में शामिल हुए) थे।

7. वित्त और प्रशासनिक मुद्दे 2019-20

1. मुख्य आयोजित बैठकें

आईसीएम की वित्त समिति की छठी बैठक 4 मार्च, 2020 को हुई थी।

2. वित्त वर्ष 2019-2020 के लेखो का समेकन

आईसीएम के वित्त वर्ष 2019-2020 के लेखों के संकलन के लिए मेसर्स एंटीमा गोयल एंड कंपनी के स्थान पर मेसर्स वी. डी. तिवारी एंड कंपनी को नियुक्त किया गया है। सीए फर्म ने वित्त वर्ष 2019-2020 की लेखापरीक्षा पूरी कर ली है, और प्रस्तुत रिपोर्टों को मंजूरी दे दी गई है।

3. एफसीआरए पंजीकरण

आईसीएम को 1 दिसंबर 2016 को एफसीआरए (2010) के तहत पंजीकरण # 231661660 सहित पंजीकरण प्राप्त हुआ है। पंजीकरण पांच वर्ष के लिए मान्य है। आईसीएम को वित्तीय वर्ष के दौरान सिंडिकेट बैंक (अब

Created with PDFBear.com

केनरा बैंक), अकबर भवन शाखा, नई दिल्ली के साथ नामित/अनन्य बैंक खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-2020 में आईसीएम को कोई विदेशी अंशदान नहीं मिला है।

4. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान

आईसीएम, विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित एक अनुदान-सहायता निकाय है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, कोई निधि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि आईसीएम के पास प्रतिबद्ध परियोजनाओं के पिछले आवंटनों से निधियों उपलब्ध थी और इसे आईसीएम के भविष्य के उपयोग के लिए कॉर्पस फंड में बदल दिया गया है। 31 मार्च 2020 को आईसीएम के पास निधियों की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.स.	खाते का नाम	खाता संख्या	31 मार्च 2020 को शेष राशि (रुपये)
1	आईसीएम सिंडिकेट बैंक-मुख्य खाता	91462010024313	3,71,08,708.05
2	आईसीएम सिंडिकेट बैंक-ओटीएफ खाता	91462010026206	3502.75
3	आईसीएम सिंडिकेट बैंक इंडिया-ईयू खाता	91462010027675	1,62,90,673.74

Created with PDFBear.com

वित्त वर्ष 2019-20 का प्राप्तियां और भुगतान लेखा निम्नानुसार है:

प्राप्तियां/आय	राशि (रु.)	भुगतान/व्यय	राशि (रु.)
अनुदान-सहायता	0	एनआईसीएसआई को अग्रिम	12,10,396
बैंक ब्याज **आईसीएम लेखा : 14,43,088** **ईयू लेखा : 5,60,756** **ओटीएफ लेखा : 138**	20,03,981	एमईए को अग्रिम	14,160
अन्य आय	350	जेएमजी एंड एसोसिएट्स	58,320
उप कुल	**20,04,331**	टीडीएस	36,594
		अचल परिसंपत्तियां	83,905
		कर्मचारियों को वेतन	22,72,568
		इंटर्न को वजीफा	13,39,000
		वाहन किराया शुल्क	3,35,555
		संगोष्ठी खर्च	4,57,000
		भर्ती और विज्ञापन खर्च	2,18,485
		आउटसोर्स कर्मचारी	2,44,675
		पैनल/पीडीओटी चर्चा	2,61,086
		मुद्रण और स्टेशनरी	1,19,692
		विविध खर्चें	1,95,104
		मरम्मत और रखरखाव	66,415
		यात्रा खर्च	1,24,354
		छात्र प्रवासन	51,203
		उप-कुल	**70,88,513**
बैंक **आईसीएम लेखा: 4,27,52,175** **ईयू लेखा : 1,57,29,933** **ओटीएफ लेखा : 3,380** **नकद : 3,350**	5,84,88,838	**बैंक** आईसीएम लेखा:3,71,08,708 ईयू लेखा :1,62,90,674 ओटीएफ लेखा : 3,503 नकद : 1,772	5,34,04,656
कुल	**6,04,93,169**	कुल	**6,04,93,169**

Created with PDFBear.com

8. शासी परिषद के सदस्य 2019-20

पदेन सदस्य

1. सचिव, सीपीवी एंड ओआईए, विदेश मंत्रालय -अध्यक्ष
2. सचिव, आर्थिक मामले विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) या प्रतिनिधि
3. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या प्रतिनिधि (एमओएलएंडई)
4. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), या प्रतिनिधि
5. सीईओ, आईसीएम -सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव, ओआईए-1, विदेश मंत्रालय)

राज्य सरकार

1. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार या प्रतिनिधि
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार या प्रतिनिधि
3. मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार या प्रतिनिधि

मनोनीत विशेषज्ञ

1. श्री. श्याम के. जी. परांडे, महासचिव, एआरएसपी, नई दिल्ली
2. डा. अमरजीवा लोचन, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
3. सुश्री. गायत्री कांठ, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉर्स (आईओई), जिनेवा की परियोजना प्रबंधक
4. श्री. यूसुफ अली, अध्यक्ष और एमडी, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, यूएई

Created with PDFBear.com

9. इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन में कर्मचारी

1.	**डॉ. टी.एल.एस. भास्कर**	**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(सीएओ)* अनुबंध सितंबर 2020 में समाप्त हुआ**
2.	डॉ सुरभि सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ)
3.	सुश्री मधु थरेजा	लेखा अधिकारी (एओ)
4.	श्री मिनेश मिश्रा	लेखा अधिकारी (एओ)
5.	डॉ प्रियदर्शिका सुब्बा	अनुसंधान सहायक (आरए)
6.	सुश्री काव्या श्रीवास्तव	इंटर्न
7.	सुश्री हीराल उपाध्याय	इंटर्न
8.	सुश्री ओजस्वी गोयल	इंटर्न
9.	श्री अमन दीप सिंह	इंटर्न
10.	श्री हर्षित राय	इंटर्न
11.	स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक (पी) लिमिटेड	कार्यालय परिचर

Created with
PDFBear.com

10. फोटो

आईसीएम पैनल चर्चा

'छात्रों की गतिशीलता: चुनौतियां, अवसर और संभावनाएं', 15 जनवरी 2020

'खाई को पाटना: रोजगार के साथ कौशल विलय', 19 फरवरी 2020

Created with
PDFBear.com

टीओटी कार्यशाला

टीओटी कार्यशाला, जयपुर, 23-24 दिसंबर 2019

टीओटी कार्यशाला, बेंगलुरु, 27-28 जनवरी 2020

Created with
PDFBear.com

11. तुलन-पत्र

	इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन						
	प्रवासी भारतीय केंद्र, डॉ रिज़ल मार्ग						
	चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110021						
	31-मार्च-2020 को तुलन-पत्र						
	विवरण	**अनु सूची**	***31-मार्च-2020* को**		***31-मार्च-2019* को**		
I.	कॉर्पस/ पूंजी निधि और देयताएं						
1	कॉर्पस निधि	1	5,86,93,341	5,86,93,341	24,69,964	24,69,964	
2	अंकित/वृत्तिका निधियां						
	अनुदान सहायता	2	-	-	6,10,64,370	6,10,64,370	
3	चालू देयताएं						
	(क) अन्य चालू देयताएं	3	1,64,443		1,21,977		
	(ग) प्रतिभूति जमा		-	1,64,443	-	1,21,977	
	कुल			**5,88,57,784**		**6,36,56,311**	
II.	**परिसंपत्तियां**						
1	अचल परिसंपत्तियां	4	13,79,593		16,38,325		
	संलग्न सूची के अनुसार						
2	चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि						
	(क) ऋण और अग्रिम	5	38,32,754		32,88,368		

Created with PDFBear.com

	(ख) जमा	6	2,40,781	54,53,128	2,40,781	51,67,474	
	(ग) नकद और बैंक शेष	7	5,34,04,656	5,34,04,656	5,84,88,837	5,84,88,837	
	कुल			**5,88,57,784**		**6,36,56,311**	
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	11					

Created with
PDFBear.com